रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2015/श्रावण 6, 1937
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SHARVANA 6, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जुलाई, 2015

विषय : चाइनीज ताइपेई, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेश्जरिंग टेप्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में।

फा. सं. 14/21/2014–डीजीएडी .— यत:, मैसर्स एफएमआई लिमिटेड, लुधियाना (जिसे एतद्पश्चात आवेदक अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदनपत्र चाइनीज ताइपेई, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेश्जरिंग टेप्स" के आयातों के संबद्ध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उस पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन होने, घरेलू उद्योग को "क्षति" होने, तथा पाटन एवं क्षति के बीच अभिकथित कारणात्मक संबंध होने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने को न्यायोचित ठहराते हैं और इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा किसी अभिकथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच

करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत एक जांच की शुरुआत करते हैं जो अभिकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि ही उदग्रहीत की गई तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग एवं आधार

3. यह आवेदनपत्र इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स एफएमआई लिमिटेड, लुधियाना द्वारा दायर की गई है। उनके आवेदनपत्र के अनुसार, भारत में इस संबद्ध वस्तु के कई अन्य उत्पादक भी हैं जैसे फ्रीमेंस मेश्जरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कलश टेप्स कंपनी लिमिटेड, वीनस इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, अम्बिका ओवरसीज और न्यूवेव इंडस्ट्रीज। इन सभी उत्पादकों ने इस याचिका का लिखित रूप में समर्थन किया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन इस संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि यह आवेदनपत्र पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार के मापदंड का पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद "मेश्जरिंग टेप्स" है। सभी प्रकार के स्टील मेश्जरिंग टेप्स और फाइबर ग्लास मेश्जरिंग टेप्स वर्तमान याचिका की विषय वस्तु हैं। इनका प्रयोग सामान्यत: किसी वस्तु की लंबाई एवं चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर फोरमैन, राज-मिस्त्री, बढ़ई, वानिकी विभाग और दर्जियों आदि द्वारा किया जाता है। मेश्जरिंग टेप्स का निर्माण टेम्पर की गई उच्च गुणवत्ता वाली कार्बन स्टील ब्लेड से किया जाता है और उसे विशेष इनैमल द्वारा फास्फेटेड एवं कोटेड किया जाता है जिससे कि वह संछारण एवं जंग प्रतिरोधी बन सकें। मेश्जरिंग टेप्स का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है :

(क) उच्च प्रिसीजन प्रोफेशनल कार्यों के लिए;

(ख) किसी वस्तु की गहराई, चौड़ाई या लंबाई मापन के लिए;

(ग) संकुचन एवं सर्वेक्षणों के लिए।

5. तकनीकी टर्म्स में मेश्जरिंग टेप्स को टेप की लंबाई और चौड़ाई के रूप में प्रयोग किए गए कच्चे माल अर्थात स्टील या फाइबर ग्लास के रूप में और अंतत: उन परिशुद्धताओं, जिनके आयामों को टेप पर चिन्हित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। उन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत उपशीर्षक 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि इस संबद्ध वस्तु का आयात उपर्युक्त उप-शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकर नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के नियमों के अनुसार समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चाइनीज ताइपेई, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि उन्होंने उस कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है जिस पर संबद्ध देशों की घरेलू बाजारों में इस मद का व्यापार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने यह दावा भी किया है कि वे उन संबद्ध देशों, जो बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, की घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत के यथोचित साक्ष्य अथवा कोई ऐसी अन्य सूचना अवाप्त करने में अक्षम रहे हैं। इस प्रकार, आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य की संरचना भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत, विद्युत लागत

कीमतों को छोड़कर, जिनका संग्रहण अलग-अलग देशों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इन्फार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मन्थली एनर्जी रिव्यू, मई, 2010 से किया गया है, के आधार पर की है। स्टील और फाइबर ग्लास टेप्स के लिए सामान्य मूल्य का पृथक-पृथक दावा किया गया है क्योंकि दोनों प्रकार के टेप्स की लागत और कीमत के बीच अंतर है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों प्रकार के टेप्स का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किए जा रहे कच्चे माल के बीच भी अंतर है।

निर्यात कीमत

9. आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। इन निर्यात कीमतों का समायोजन समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, बैंक प्रभारों, कमीशन, पत्तन और अंत:स्थलीय भाड़ा व्यय के लिए किया है।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों के बीच तुलना फैक्टरी बाह्य स्तर पर की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाता है। इस बात के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य फैक्टरी-बाह्य निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिससे, प्रथमदृष्टया, यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं उपभोग के संगत रूप से वृद्धि हुई है। आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और इन आयातों ने घरेलू कीमतों का भारी स्तर पर निग्रहण किया है और तत्पश्चात घरेलू कीमतों का अवमंदन किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में कमी आई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा, नकद हानि और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ सहन करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण ही यह वास्तविक नुकसान कारित किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पारित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति कारित किए जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो इस पाटनरोधी जांच की शुरुआत युक्तियुक्त ठहराते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

12. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि भी शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. सम्बद्ध देशों के निर्यातकों, उनकी सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरुप और ढंग से सभी संगत जानकारी दर्ज करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरुप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को एक पत्र द्वारा यह सलाह दी जाएगी कि वे प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत करें और अपनी टिप्पणियां लिखित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जाए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों रूप में प्रस्तुत की जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुति (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षों से इसे दो पृथक सेटों में यदि "गोपनीयता" का इसके किसी भाग पर दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है :

(क) एक सेट गोपनीय रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और

(ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

17. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टत: चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करे। दोनों संस्करणों की सॉफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

18. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो प्रकृति में गोपनीय हों और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण विवरण दिया जाना अपेक्षित है ।

19. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका बनाना सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

20. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

22. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) **के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।**

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते है।

जे.के .दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of "Measuring Tapes" originating in or exported from Chinese Taipei, Malaysia, Thailand & Vietnam - reg.

F. No. 14/21/2014-DGAD.— Whereas M/s**.** FMI Limited, Ludhiana (hereinafter also referred to as the applicant or the petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of **"Measuring Tapes" originating in or exported from Chinese Taipei, Malaysia, Thailand & Vietnam** (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation and, therefore, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s FMI Limited, Ludhiana as domestic industry of the product under consideration. As per the application, there are a number of other producers of the subject goods in India like Freemans Measures Pvt Limited, Klas Tape Co., Venus Industrial Corpn., Ambika Overseas and New Wave Industries. All these producers have extended support to the petition in writing. As per the evidence available on record, the production of the applicant

accounts for major proportion of the total domestic production of the subject goods. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration is "Measuring Tapes". All type of steel measuring tapes and fibre glass measuring tapes are the subject matter of the present petition. These are generally used for measuring the length, breadth etc. of an object. These are mostly used by foreman, mason, carpainter, forestry departments and tailors etc. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphated and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. Measuring tapes are used for: -

a. high precision professional jobs;
b. measuring depth, width, or length of an object;
c. contraction and surveys.

5. In technical terms, measuring tapes are defined in terms of length and width of a tape, raw material used, i.e., steel or fibre glass, and finally precision with which dimensions are marked on the tape. These are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under sub-headings 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90. The applicant has stated that subject goods are being imported under above-mentioned sub-headings. The Custom classification, however, is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like Aticle

6. The applicant has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are identical to the subject goods being dumped into India from the subject countries. The applicant has claimed that the subject goods produced by the applicant and imported from the subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

7. The subject countries in the present investigation are Chinese Taipei, Malaysia, Thailand and Vietnam.

Normal Value

8. The applicant has claimed that they made efforts to get information about the price at which these items are being traded in the domestic markets of the subject countries. The applicant has further claimed that they have not been able to procure any such information or reasonable evidence of price prevailing in the domestic markets of the subject countries which are market economy countries. The applicant has, thus, constructed normal value for determination of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted, except power cost for which prices have been collected for the individual countries from the source United States Energy Information Administration, Monthly Energy Review, May 2010. The normal value has been claimed for Steel and Fibre Glass Tapes separately owing to significant cost and price difference between the two types. Further, the major raw material used for production of the two types is also different.

Export Price

9. The applicant has determined the export prices based on IBIS import data to assess the volume and value of subject import in India. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, bank charges, commission, port and inland freight expenses.

Dumping Margin

10. The normal values and the export prices have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export prices, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. There is sufficient evidence of the significant dumping margin to justify initiation of antidumping investigation.

Injury and Causal Link

11. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports from the subject countries. The demand for the product has increased over the injury period. Subject imports have increased in absolute terms and relative to production and consumption in India. The imports are undercutting the domestic prices and the imports have suppressed the domestic prices to a significant level and have thereafter depressed the domestic prices. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits, return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. The petitioner has claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation (POI)

12. The Period of Investigation (POI) determined by the Authority is from April 2014 to March 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the Period of Investigation.

Submission of Information

13. The exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeewan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. All known interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to file questionnaire responses in the form and manner prescribed and to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record, in accordance with the AD Rules.

Submission of information on confidential basis

16. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:—

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

17. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

18. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

22. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

23. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.